नगरीय निकायों के जलापूर्ति सिस्टम में ऑपरेशन-मेन्टीनेंस के नाम पर लाखों का गोलमाल

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर । नगरीय निकायों में जलापूर्ति के नाम पर करोड़ों की योजनायें बनाई जाती हैं और क्रियान्वयन में भारी भरकम राशि भी खर्च की जाती है। किन्तु उन योजनओं के पूर्ण होने के बाद उनके रख रखाव में नियोजित तरीके से ध्यान नहीं दिया। जबकि योजना की पूर्णता के बाद उसके आपरेशन एवं मेन्टीनेंस पर भी प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिये।

पन्ना नगर की ही बात की जाय तो देखा जा सकता है कि कई जगह पाईप लाईनों में लीकेज, अनावश्यक पानी का रिसाव देखा जाता है जिसे समय पर ठीक नहीं करने पर अंत में वह बढ़ता ही चला जाता है। सड़कों में कई जगह देखा जाता है कि जिस समय पानी छोड़ा जाता है उस समय रिसाव का पानी बहता रहता है जिससे सड़कें भी खराब होती है। जबकि रख रखाव के नाम पर लाखों करोड़ों की राशि खर्च होती रहती है। इससे यह सवाल भी उठता है कि जब प्राथमिकता के साथ लीकेज को चिन्हित कर रख रखाव नहीं किया जाता तो मरम्मत के नाम जो राशि खर्च की जाती है वह प्रमाणित नहीं हो सकती। नियम व निर्देश यह भी हैं कि निकायों में रिसाव (प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिये ताकि रिसाव के बारे मे जानकारी संकलित की जा सके और समय पर उसे सुधारा जा सके। किन्तु यहां किसी भी निकाय में रिसाव प्रकोष्ठ की कभी कोई चिन्ता ही नहीं हुई। न ही इस संबंध मे कभी विचार ही हुआ।

रिसाव नियंत्रण कार्यकम अस्तित्व में ही नहीं:- प्राप्त जानकारी के अनुसार जल आपर्ति प्रणाली में नगरीय निकायों में रिसाव नियंत्रण कार्यक्रम का प्रावधान होना चाहिये। इसके लिये नियमावली की भी परिकल्पना की गई थी। किन्तु किसी भी नगरीय निकाय में रख रखाव से संबंधित कार्यक्रम तैयार नहीं - किया जाता। जबकि रख रखाव के नाम पर लाखों करोड़ों की राशि खर्च होती रहती है। इससे यह - सवाल भी उठता है कि जब प्राथमिकता के साथ लीकेज को चिन्हित कर रख रखाव नहीं किया जाता तो मरम्मत के नाम जो राशि खर्च की जाती है वह प्रमाणित नहीं हो सकती। नियम व निर्देश यह भी हैं कि निकायों में रिसाव प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिये ताकि रिसाव के बारे में जानकी संकलित की जा सके और समय पर उसे सुधारा जा सके। किन्तु यहां किसी भी निकाय में रिसाव प्रकोष्ठ की कभी कोई चिन्ता ही नहीं हुई। न ही इस संबंध मे कभी विचार ही हुआ।

ओएण्डएम का अस्तित्व में न होने का परिणाम यह भी देखा जाता है कि रख रखाव के लिये ओ एण्ड एम का अस्तित्व में होना जरूरी है। नियमावली में भी इस तरह के प्रावधान किये गये हैं। किन्तु किसी भी निकाय में आपरेशन एवं मेन्टीनेंस को लेकर कोई व्यवस्था नहीं मिल सकती। यही कारण है कि ओ एण्ड एम के मुद्दे पर व्यापक कार्ययोजना भी तैयार नहीं होती।

सुझाव तो यह भी दिये गये थे कि निकायों में ओ एण्ड एम सेल का प्रावधान किया जाना चाहिये। किन्तु इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जाता। इसी के चलते जलापूर्ति सिस्टम भगवान भरोसे चलता रहता है। जहां पता चलता है कि कोई बड़ा लीकेज हो गया जहां से उपभोक्ताओं तक पानी पहुचना ही बंद हो गया तभी निकायों को चिन्ता होती है। अन्यथा छोटी मोटी समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। रखरखाव के नाम पर

मिलता है कई जगह प्रदूषित पानी

जब पाईपलाईनों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो कई बार ऐसी भी शिकायतें मिलनी शुरू हो जाती है। कि पानी शुद्ध नहीं आ रहा है। प्रदूषित एवं दुर्गन्धयुक्त पानी आ रहा है। इस तरह की स्थिति तभी बनती है जब रख रखाव में पर्याप्त ध्यान न दिया जाय। जब रख रखाव जैसे कार्य को प्राथमिकता से बाहर मान लिया जाय। जब मरम्मत के नाम पर कागजी खेल किया जाय। जब मरम्मत को लेकर कोई कार्ययोजना तैयार न हो।

होने वाले व्यय पर सवाल

नगरीय निकायों में जब नियमों के अनुसार एवं विधिवत कार्ययोजना के अनुसार रख रखाव नहीं किया जाता तो फिर करोड़ों का बजट कहां खर्च किया जाता है यह खोज का विषय बन जाता है। विभाग के अधिकारी व इंजीनियर ही शायद ऐसा नहीं चाहते कि जलापूर्ति व्यवस्था को ठीक रखा जाय। वे चाहते हैं कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद काम चलता रहे। जबकि रख रखाव के नाम पर मनमानी खर्च दिखाकर बजट हजम किया जा सके। जबकि नगर पालिका जैसे एक बड़े क्षेत्र में जहां हजारों की संख्या में उपभोक्ता होते हैं और जहां पाईपलाईनों का जाल फैला होता है वहां कहीं न कहीं से आपूर्ति में गड़बड़ी की शिकायते आती ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में नियोजित तरीके से यदि काम नहीं हुआ तो जनता को लाभ नहीं मिल सकता।

लेनदेन के विवाद में मारपीट, घायल की छह दिन बाद अस्पताल में मौत

कोतवाली थाना क्षेत्र के धाम मोहल्ला का मामला

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के धाम मोहल्ला में रूपयों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में घायल युवक की मौंत हो गई। मृतक की पहचान राजकुमार वंशकार उम्र 30 वर्ष पिता किशनलाल वंशकार निवासी धाम मोहल्ला के रूप मे हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 22 अक्टूबर की है जब राजकुमार का मोहल्ले के ही त्रिपाल वंशकार, तरूण वंशकार और लालजी वंशकार से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने मिलकर राजकुमार की लात घूसों से जमकर पिटाई की। और उसे घायल अवस्था मे नाले में फेक दिया। परिजनों को मिलने उन्होंने घायल को जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया, जहां तीन दिन तक उपचार चला। हालत में सुधार न होने पर उसे पन्ना से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिजन उसे घर ले गए।

बताया गया कि 28 अक्टूबर की सुबह राजकुमार की तबीयत अचानक बिगड गई। परिजन जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, ड्यूटी डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने उसे मृत घोषित कर दिया।

छत्रसाल महाविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर । जिले के अग्रणी महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉ.एस.डी. चतुर्वेदी एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ. सचिन गोयल के नेतृत्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय में किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस डी चतुर्वेदी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस डी चतुर्वेदी ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, विलियम स्वीटजर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कार्यों के समकालीन दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने, और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। डॉ सचिन गोयल द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम के कुशल संचालन एवं सफलता हेतु समस्त आयोजक प्राध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं विद्यार्थियों को लगातार आगे बढ़ते रहने एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

संपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ नंद कुमार पटेल, डॉ बी एन जायसवाल, डॉ प्रदीप कुमार रावत, डॉ पीयूषा शर्मा एवं समस्त कार्यालयीन स्टाफ उपस्थित रहा एवं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान द्वारा किया गया।

परिवहन नियमों की सरेआम उड़ती धज्जियां

बसों में वसूला जाता है मनमाना किराया, प्रशासन का ध्यान अपेक्षित

नवभारत न्यूज

अमानगंज/पन्ना 29 अक्टूबर। वैसे तो हमेशा से ही तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों की यात्री बसों की हालत जर्जर रही है और परिवहन विभाग के नियमों की हमेशा से धज्जियां उड़ाई जाती रही लेकिन इन दिनों देखने को यह मिल रहा है कि कुछ समय से यात्री बसों में मनमाने किराए के रूप में गरीबों का शोषण बढ़ता जा रहा है और अनपढ़ कमजोर ग्रामीणों को बसों में क्षमता से अधिक ठूंस ठूंस कर भरा जाता है।

जिससे कई बार बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हुई लेकिन प्रशासन तुरंत में थोड़ी बहुत कार्यवाही करता है और फिर वही ढिलमुल रवैया चालू हो जाता है यदि कोई यात्री इन बस कंडक्टर से सरकार द्वारा निर्धारित किराये के बारे में पूछता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसने कोई अपराध कर दिया है और यह दबंग कंडक्टर उन पर टूट पड़ते हैं और डीजल का बढ़ना, टैक्स का बढ़ना, सहित आरटीओ और पुलिस की चेकिंग मैं लगने वाले पैसों का भी हवाला उन यात्रियों को दिया जाता है और कहा जाता है कि बसें चलाना अब आसान नहीं है हमें सब जगह पैसा देना होता है तो जो हम कह रहे हैं वह सीधे से दो और यदि कोई यात्री इसके बाद भी यह मनमाना किराया नहीं देता है तो बीच रास्ते में उतारकर जलील करने मैं भी यह कंडक्टर नहीं हिचकिचाते साथ ही जो टिकट बस कंडक्टर द्वारा दी जाती है उसमें ना तो बस कंपनी का नाम होता है ना ही बस का नंबर और ना ही किराए का स्पष्ट उल्लेख होता है और ना ही कहां से कहां तक की यात्रा की गई इसका स्पष्ट उल्लेख होता है बस यात्री को ऐसी टिकट दी जाती है जिसको समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब इसे बस कंडक्टरों की मनमानी कहें या जिला प्रशासन की कमजोरी कारण कुछ भी हो आखिरकार परेशान तो उस गरीब आमजन को ही होना पड़ रहा है जो इन बसों में यात्रा करता है सरकारें बदली मंत्री बदले परंतु अधिकारियों की मनमानी और जनता की परेशानी जस की तस बनी हुई है।

प्राथमिक शाला हिनौता में पदस्थ शिक्षिका पुरस्कार के लिए हुईं नामांकित

नवभारत न्यूज

पवई 29 अक्टूबर। जनपद शिक्षा केंद्र पवई अंतर्गत प्राथमिक शाला हिनौता की शिक्षिका श्रीमती अर्चना सिंह को समग्र शिक्षा अभियान और लीप फॉरवर्ड के द्वारा अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में संचालक सभी शैक्षणिक एवं संस्थागत गतिविधियों को पूरे समर्पण एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करने के लिए उन्हें पुरस्कार किया गया।

पुरस्कार के स्वरूप लीप फॉरवर्ड ओर से 8 पुस्तकें पुरुस्कार के रूप में प्रदान की गई । ये पुरुस्कार उन्हें सर्टिफिकेशन टेस्ट में 4 स्टार मिलने एवं कार्यकृम की सभी गतिविधियों को शाला में संचालित करने के कारण मिला है। कार्यक्रम में पूरी निष्ठा और तन्मयता से जुड़ने के कारण लीप फॉरवर्ड की टीम ने उन्हें मध्य प्रदेश के बेस्ट टीचर में शामिल करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश शिक्षक हीरो में शामिल किया है। बता दें कि श्रीमती अर्चना सिंह पवई नगर के चिकित्सक डॉ धनराज सिंह भदौरिया की पत्नी हैं।

पटरी से उतरी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, प्रशासन बेपरवाह

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर। जिला प्रशासन के निर्देश एवं त्रिस्तरीय समिति के तमाम प्रयासों के बाद भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के मध्यान्ह भोजन वितरण की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है, प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन परिषद के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

एक एक महिला स्वसहायता समूहों को दो- चार विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन संचालन का दायित्व सौंप दिया गया है जबकि राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक समूह को एक विद्यालय का कार्य दिया जाये। अनुविभाग स्तरीय अनुश्रवण समिति भी जिले के मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था शासन के नियमानुसार चलाने मे असमर्थ दिखाई दे रही है। आज भी जिले की दर्जनों प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों मे मध्यान्ह भोजन पालक शिक्षक संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। जिले की मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर

चुकी है और शासन के निर्देशों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से संचालन किया जा रहा है।

जनपद समिति नहीं कर पा रही काम:- जनपद पंचायतों मे अनुविभागीय दंडाधिकारी की अध्यक्षता मे त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें विकास खंड स्त्रोत समन्वयक को सदस्य सचिव एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास को सदस्य बनाया गया था। उक्त समिति को एक माह के अंदर स्व सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन मे अनियमितता एंव समूहों को नये विद्यालय देने का अधिकार सौंपा गया था किंतु ज्यादातर जनपद पंचायतों में हर महीने समिति की बैठक तक नहीं हो रही है। त्रिसदस्यीय समिति को स्व सहायता समूह को हटाने, प्रतिस्थापित करने, वसूली, समूह को ब्लेक लिस्टेड करने तथा एफआईआर आदि की कार्यवाही करने का अधिकार सौंपा गया है। जिले में गठित हजारों स्व सहायता समूहों मे से चंद महिला स्वसहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन संचालन का दायित्व सौंपा गया है जबकि अधिकांश समूहों को मध्यान्ह भोजन का कार्य नहीं दिया गया है जिले में जब इतने समूह गठित हैं तो शासन के नियमानुसार एक विद्यालय एक समूह को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है।

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक 4 नवम्बर को

पन्ना 29 अक्टूबर । कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 4 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति तथा जिला पशु कल्याण समिति की बैठक होगी।

उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा समिति के सचिव डॉ. एन.के. गुप्ता द्वारा सर्वसंबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

नवीन मतदान केन्द्रों के लिए बीएलओ संबद्ध

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60 पन्ना संजय कुमार नागवंशी द्वारा तत्काल प्रभाव से नव सृजित होने वाले 23 मतदान केन्द्रों के लिए बीएलओ को संबद्ध किया गया है।

साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 4 नवम्बर से प्रारंभ होने वाले कार्यों के संबंध में कार्य समाप्ति तक सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुक्रम में प्रत्येक मतदान केन्द्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाने के पालन में आयोग को मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्तावित मतदान केन्द्रों में कंट्रोल टेबल अपडेट होने के उपरांत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक बीएलओ के रूप में कार्य किया जाएगा, जिसके तहत गत मंगलवार को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देश के पालन में पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्र के विभाजन के फलस्वरूप नवीन मतदान केन्द्र सृजित होंगे। पूर्णकालिक रूप से नव सृजित मतदान केन्द्र के अस्तित्व में आने तक पूर्व के मूल मतदान केन्द्र के बीएलओ के साथ कार्य करने के लिए नव सृजित केन्द्र के बीएलओ को संबद्ध किया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को बीएलओ का दायित्व सौंपा गया है। पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नव सृजित मतदान केन्द्र क्रमांक 6 शासकीय माध्यमिक शाला भवन पड़रहा में लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, मतदान केन्द्र क्रमांक 32 शासकीय माध्यमिक शाला कुंवरपुर माध्यमिक खण्ड में रामकुमार कोंदर, मतदान केन्द्र क्रमांक 37 शासकीय ग्राम पंचायत भवन पाठा में वारिश अली खान, मतदान केन्द्र क्रमांक 41 शासकीय प्राथमिक शाला नारायणचुआ में जीतेन्द्र कुमार कोंदर, मतदान केन्द्र क्रमांक 79 शासकीय माध्यमिक शाला भारतपुर में श्याम सुन्दर पटेल, मतदान केन्द्र क्रमांक 144 शासकीय हाईस्कूल माध्यमिक खण्ड छतैनी में रामअवतार सिंह, मतदान केन्द्र क्रमांक 173 शासकीय प्राथमिक शाला माधौगंज नगर परिषद अजयगढ़ में मोहनलाल सुनकर, मतदान केन्द्र क्रमांक 220 मोहनपुरवा वार्ड नंबर 23 भाग 3 शासकीय प्राथमिक शाला नयापुरवा में दुर्गा शर्मा, मतदान केन्द्र क्रमांक 227 शासकीय माध्यमिक शाला दरेरा में शिवलोचन प्रसाद कुशवाहा, मतदान केन्द्र क्रमांक 232 मड़ला भाग 2 शासकीय प्राथमिक शाला क्वांदरपुरा में कौशिल्या कोंदर, मतदान केन्द्र क्रमांक 237 शासकीय प्राथमिक शाला कूड़न में रामजी मिश्रा, मतदान केन्द्र क्रमांक 240 शासकीय प्राथमिक शाला टपरियन में रामलगन पटेल, मतदान केन्द्र क्रमांक 242 शासकीय प्राथमिक शाला झरकुआं में शिवप्रताप चनपुरिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 248 सामुदायिक भवन बांधीकला में रमाकांत तिवारी, मतदान केन्द्र क्रमांक 251 शासकीय माध्यमिक शाला इटवाकलां कक्ष क्रमांक 3 में प्रभुदयाल लोधी, मतदान केन्द्र क्रमांक 280 शासकीय प्राथमिक शाला ठाकुरनपुरा में रीना पाल, मतदान केन्द्र क्रमांक 289 शासकीय माध्यमिक शाला बाबूपुर अतिरिक्त कक्ष में मनोज कुमार मण्डल, मतदान केन्द्र क्रमांक 295 शासकीय प्राथमिक शाला भमका में संतोष कुमार कोरी, मतदान केन्द्र क्रमांक 297 शासकीय प्राथमिक शाला हाटपुर में राकेश कुमार मण्डल, मतदान केन्द्र क्रमांक 305 शासकीय प्राथमिक शाला दुबे टोला गजना में देवराज मिश्रा, मतदान केन्द्र क्रमांक 317 भसूड़ा भाग 2 शासकीय माध्यमिक शाला भसूड़ा में संजय खरे, मतदान केन्द्र क्रमांक 320 शासकीय प्राथमिक शाला हरद्वाही में रविशंकर मिश्रा तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 325 शासकीय माध्यमिक शाला कोठीटोला के लिए रमेश त्रिपाठी को बीएलओ बनाया गया है।

नवजात का शव तालाब में तैरता मिला

पन्ना 29 अक्टूबर । आज पन्ना नगर के ऐतिहासिक तालाब धरमसागर मे मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है जिसमें किसी बिन ब्याही मां ने अपना पाप छुपाने कलेजे के टुकड़े को तालाब मे डाल दिया। जिसे आज प्रात:काल घूमने वाले सलमान नामक युवक ने देखा तो उसकी सूचना डायल 112 को दी। जिस पर पुलिस ने मौंके पर पहुंचकर शव को कब्जे मे लेकर पंचनामा बनाकर पीएम कराने के बाद उसे दफना दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना मे लिया है।

दवा की दुकानों का एसडीएम ने किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 29 अक्टूबर । अजयगढ़ नगर में संचालित दवा की दुकानों का एसडीएम आलोक मार्को एवं बीएमओ शोभाराम शर्मा ने अमले के साथ बस स्टैंड स्थित तीन मेडिकल स्टोर पर पहुंचे दुकानों में पहुंचकर उनका निरीक्षण किया।

उनके दस्तावेज देखे एवं उनको दवाइयो की भी जांच परख की दुकानदारों को उन्होंने समझाया की शासन द्वारा प्रतिबंधित दवाओं का विक्रय बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें एवं दुकानों में फार्मासिस्ट रखें बिना डॉक्टर के पर्चा के अनावश्यक दवाओं का विक्रय ना करें जो नशा की श्रेणी में आते हैं उन दवाओं का आम मरीजों को

उपलब्ध न करें। डॉक्टरों की सलाह पर ही मरीजों को दबा उपलब्ध कराए एवं प्रतिबंधात्मक दवाओं का विक्रय बिल्कुल ना करें सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों का लेखा-जोखा रखें नकली दवाओं का विक्रय न करें दुकान में दबाओ की स्टॉक पंजी दुरुस्त रखें जिससे की दुकान की दावोंओ की जांच करने में आसानी रहे।

एसडीएम आलोक मार्को ने बताया कि आज से दवा की दुकानों में पहुंचकर जायजा लिया गया है अब यह निरंतर चलता रहेगा एवं दवा की दुकानों में अनावश्यक प्रतिबंधात्मक दबाओ की विक्रय करने पर दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सभी दुकानदारों को सलाह दी गई है कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी तरह की गोली सिरप आम लोगों को उपलब्ध न कराए जाएं। जांच दल में एसडीएम आलोक मार्को, बीएमओ शोभाराम शर्मा, दीपेंद्र तिवारी एवं राजस्व अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना 29 अक्टूबर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत सोमवार को मध्यप्रदेश सहित 12 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दृष्टिगत निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत विभिन्न स्तर पर पुनरीक्षण कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ समयबद्ध रूप से विभिन्न कार्यवाहियां संपादित की जाएंगी।

इस संबंध में बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामप्रताप सिंह जादौन द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी कक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार सहित अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मधुवंतराव धुर्वे, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन कर कार्य करें। आयोग के विभिन्न निर्देशों का अच्छी तरह भलीभांति अध्ययन कर लें। इस दौरान अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन पर जाकर कोई भी मतदाता 2003 की मतदाता सूची को देख सकता है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर घर जाएंगे, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। एनूमेरेशन फॉर्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है, तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय होगा। एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 8 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 3 नवम्बर तक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। 9 दिसम्बर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। वीडियो कान्फ्रेंस में पुनरीक्षण संबंधी विभिन्न कार्यवाही और प्रक्रियाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।